

सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2022
अनुशासनों का विवरण तथा कट ऑफ अंक
(श्रेणीवार)

भू-विज्ञानी, समूह 'क'

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्तियां	बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अनुशंसित उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशांसा के बाद शेष रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता]	न्यूनतम अर्हक अंक		अंतिम चरण में कट ऑफ अंक (1200 में से)
						चरण-I (प्रारंभिक) [400 में से] ^e	चरण-II (प्रारंभिक) [1000 में से] ^f	
1.	सामान्य	39	-	37*	37 [सामान्य मानक पर 03-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 07-अ.पि.व. सहित]	171	408	577
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11	-	11	11	171	386	524
3.	अ.पि.व.	28	03	25	25	169	385	536
4.	अ.जा.	15	01	14	14	127	329	477
5.	अ.ज.जा.	07	-	07	07	112	297	439
	कुल	100	04	94	94	---	---	---
बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले उम्मीदवार								
क.	बेंचमार्क विकलांगता -1	03+01# =04	⁰⁴ [03 अ.पि.व. और 01 अ.जा.]	शून्य	---	26	139	362
ख.	बेंचमार्क विकलांगता -3	03-01# =02	शून्य	02*	---	39	---	---
	कुल	06	04	---	---	---	---	---

* कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं 36035/02/2017-स्था. (आर.) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के संदर्भ में सामान्य वर्ग के अंतर्गत 02 रिक्ति को खाली रखा जा रहा है क्योंकि बेंचमार्क विकलांगता-3 वाले उम्मीदवारों हेतु वर्तमान वर्ष की आरक्षित रिक्ति के लिए बेंचमार्क विकलांगता-3 श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाया।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं 36035/02/2017-स्था. (आर.) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के संदर्भ में 01 बैकलॉग बेंचमार्क विकलांगता-3 की रिक्ति को बेंचमार्क विकलांगता-1 की रिक्ति के साथ बदल दिया गया है क्योंकि कोई बेंचमार्क विकलांगता-3 का उम्मीदवार अनुशांसा के लिए उपलब्ध नहीं है।

^e गैर-बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-I में दो पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 15% अंकों के अध्यधीन तथा बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में दो पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 5% अंकों के अध्यधीन।

^f गैर-बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में तीन पारंपरिक पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अध्यधीन तथा बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में तीन पारंपरिक पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 10% अंकों के अध्यधीन।

वैज्ञानिक 'ख' (जल भूविज्ञान), समूह 'क'

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्तियां	बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अनुशंसित उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के बाद शेष रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता]	न्यूनतम अर्हक अंक		अंतिम चरण में कट ऑफ अंक (1200 में से)
						चरण-I (प्रारंभिक) [400 में से] [®]	चरण-II (प्रारंभिक) [1000 में से] [§]	
1.	सामान्य	09	---	09	09 [सामान्य मानक पर 03-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा 01- अ.पि.व. सहित]	171	445	595
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	---	02	02	171	442	542
3.	अ.पि.व.	05	---	05	05	169	435	550
4.	अ.जा.	03	---	03	03	127	374	527
5.	अ.ज.जा.	01	---	01	01	112	395	526
	कुल	20	---	20	20	---	---	---

[®] गैर-बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-I में दो पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 15% अंकों के अध्यधीन।

[§] गैर-बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में तीन पारंपरिक पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अध्यधीन।

जारी.....3/-

भू-भौतिक विज्ञानी, समूह 'क' / वैज्ञानिक 'ख' (भू-भौतिकी), समूह 'क'

क्रम सं.	श्रेणी	रक्तियां			बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अनुशंसित उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के बाद शेष रक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता]	न्यूनतम अर्हक अंक		अंतिम चरण में कट ऑफ अंक (1200 में से)
		भू-भौतिक	भू-भौतिकी	कुल				चरण-I (प्रारंभिक) [400 में से]@	चरण-II (प्रधान) [1000 में से]§	
1.	सामान्य	22	01	23	01	21*	11	149	429	613
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	05	00	05	---	05	05	149	377	590
3.	अ.पि.व.	13	00	13	02	11	11	149	429	604
4.	अ.जा.	06	00	06	01	05	05	122	328	505
5.	अ.ज.जा.	04	00	04	---	04	04	90	291	418
	कुल	50	01	51	04	46	36	---	---	---
बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले उम्मीदवार										
क.	बेंचमार्क विकलांगता -1	03+01# =04	---	04	04 [01 सामान्य, 02 अ.पि.व. तथा 01 अ.जा.]	शून्य	---	39	164	252
ख.	बेंचमार्क विकलांगता -3	03-01# =02	---	02	शून्य	02-01=01*	---	---	---	---
	कुल	06	---	06	04	---	---	---	---	---

* कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं 36035/02/2017-स्था. (आर.) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के संदर्भ में सामान्य वर्ग के अंतर्गत 01 रक्ति को खाली रखा जा रहा है क्योंकि बेंचमार्क विकलांगता-3 वाले उम्मीदवार हेतु वर्तमान वर्ष की आरक्षित रक्ति के लिए बेंचमार्क विकलांगता-3 श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाया। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं 36035/02/2017-स्था. (आर.) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के उप नियम 8.5 के तहत सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व में रोकी गई 01 अन्य बैकलॉग रक्ति को भर दिया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं 36035/02/2017-स्था. (आर.) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के संदर्भ में 01 बैकलॉग बेंचमार्क विकलांगता-3 की रक्ति को बेंचमार्क विकलांगता-1 की रक्ति के साथ बदल दिया गया है क्योंकि कोई बेंचमार्क विकलांगता-3 का उम्मीदवार अनुशंसा के लिए उपलब्ध नहीं है।

@ गैर-बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-I में दो पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 15% अंकों के अध्यधीन तथा बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-I में दो पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 5% अंकों के अध्यधीन।

§ गैर-बेंचमार्क विकलांगता तथा बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में तीन पारंपरिक पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अध्यधीन तथा बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में तीन पारंपरिक पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 10% अंकों के अध्यधीन।

आरक्षित सूची :

सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.पि.व.	कुल
10	03	07	20

रसायनज्ञ, समूह 'क' / वैज्ञानिक 'ख' (रसायन), समूह 'क'

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्तियां			बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले अनुशंसित उम्मीदवार	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के बाद शेष रिक्तियां	अनुशंसित उम्मीदवार [गैर-बेंचमार्क विकलांगता]	न्यूनतम अर्हक अंक		अंतिम चरण में कट ऑफ अंक (1200 में से)
		रसायनज्ञ	रसायन	कुल				चरण-I (प्रारंभिक) [400 में से] @	चरण-II (प्रधान) [1000 में से] §	
1.	सामान्य	08	01	09	---	08*	05	224	655	843
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00	02	---	02	02	224	615	808
3.	अ.पि.व.	05	00	05	---	05	05	216	611	776
4.	अ.जा.	03	00	03	---	03	03	177	591	743
5.	अ.ज.जा.	02	00	02	---	02	02	143	480	627
	कुल	20	01	21	---	20	17	---	---	---
बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले उम्मीदवार										
क.	बेंचमार्क विकलांगता -3	01	---	01	---	01	---	---	---	---
	कुल	01	---	01	---	---	---	---	---	---

* कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं 36035/02/2017-स्था. (आर.) दिनांक 15.01.2018 के नियम 8 के संदर्भ में सामान्य वर्ग के अंतर्गत 01 रिक्ति को खाली रखा जा रहा है क्योंकि बेंचमार्क विकलांगता 3-वाले उम्मीदवार हेतु वर्तमान वर्ष की आरक्षित रिक्ति के लिए बेंचमार्क विकलांगता 3-श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाया।

@ गैर-बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-I में दो पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 15% अंकों के अध्यक्षीन।।

§ गैर-बेंचमार्क विकलांगता तथा बेंचमार्क विकलांगता उम्मीदवारों के लिए चरण-II में तीन पारंपरिक पेपरों में से प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 20% अंकों के अध्यक्षीन।।

आरक्षित सूची :

सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अ.पि.व.	कुल
03	01	02	06

जारी....5/-

टाई संबंधी सिद्धांत

सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2022 में जहां भी दो या इससे अधिक उम्मीदवारों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, वहां टाई के मामलों का समाधान आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है:-

- (i) यदि सकल योग बराबर है तो भूविज्ञान/भू-भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ जल-भूविज्ञान के पेपरों तथा व्यक्तित्व परीक्षण में कुल मिलाकर अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा।
- (ii) जिन मामलों में भूविज्ञान/भू-भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ जल-भूविज्ञान के पेपरों तथा व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर भी अंक बराबर हैं, वहां अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाएगा।